न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 65/2017

प्रविष्टि दिनांकः— 08—12—2017

हनुमान पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम संग्रामपुरा पुलिस थाना घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक (राज0)

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार दूनी
दिनांक 23.11.2017 मि0नं0 1909/2017

उपस्थितः (1)श्री अजयसिंह सोलंकी, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक, राजकीय पेरोकार

निर्णय दिनांक 29—12—2017

1— संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार दूनी ने उनके आदेश दि0 23—11—2017 द्वारा ग्राम संग्रामपुरा के खसरा नम्बर 95 में से रकबा 0.20 हे0 भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2074 में किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करते हुए 80/—रू0 पेनल्टी आरोपित की है तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2— अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन प्रकरण को मंगवाया गया।

3— अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजो में नकल निर्णय तहसीलदार दूनी दिनांक 23.11.2017 की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की है।

4— हमने उभय पक्षीय बहस को सुना। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश बिना अपीलाण्ट पर किसी तरह की विधिवत रूप से प्रोपर तामील कराये व बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा में पारित किया गया है। तामील नोटिस पर गलत हस्ताक्षर कर तामील कराई गई है, पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये गये, मौके की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण नहीं किया है। पूर्व में अपीलाण्ट को किस खसरा नम्बर, पर किस मिसल द्वारा कब बेदखल किया गया था इसका उल्लेख किये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हुए बिना निर्णय पारित किया है, अपीलाण्ट का खसरा नंबर 95 या अन्य किसी भी चरागाह या सरकारी भूमि पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है, उक्त भूमि चरागाह न

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

होकर बारानी द्वितीय है। उक्त खसरा नं0 95 का रकबा बहुत बडा रकबा है जिसके किस भाग पर अपीलाण्ट का किस और कब्जा है जाने बिना अपीलाण्ट को सजायाब किया गया है। अपीलाण्ट को न तो उक्त प्रकरण में पक्ष रखेज जाने व ना ही पटवारी हल्का बडोली से किसी तरह से कोई जिरह बहस आदि करने का अवसर दिया गया, समस्त प्रकिया कागजी रूप में बंद कमरे में तैयार की गई है, अपीलाण्ट ने पेनल्टी राशि हलका पटवारी को जमा करा दी है। अतः सभी कारणो से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय तहसीलदार दूनी दि0 23.11.2017 निरस्त फरमाया जावे।

5— राजकीय पेराकार का कथन है कि अपीलाण्ट ने इसी विवादित भूमि पर पूर्व में भी सम्वत 2073 में अतिक्रमण किया था जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय व रिपोर्ट/बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। पुनः इसी भूमि पर सम्वत 2074 में अपीलाण्ट नें सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है जिससे अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्व है। अतः तहसीलदार दूनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2017 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पटवारी हल्का बडोली ने अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2074 में ख0नं0 95 रकबा 0.20 भूमि किस्म चरागाह वाके ग्राम संग्रामपुरा पर अपीलाण्ट द्वारा फसल सरसो की काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तहसीलदार दूनी ने अपने निर्णय दिनांक 23.11.2017 में अंकित किया है कि पटवारी हल्का ने अपने बयानों में सम्वत 2073,2074 में भी अतिक्रमी को विवादित भूमि से बेदखल किया था। अतः उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि नोटिस की तामील अपीलाण्ट पर प्रोपर रूप से कराई गई है, अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली को प्रस्तुत प्रा0 पत्र में विवादित भूमि को चरागाह भूमि बताया है जबकि अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा भूमि चरागाह न होकर बारानी द्वितीय होना माना है किन्तु वे इस बाबत कोई सबूत दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे है। अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि पर उसका कब्जा नहीं होने व कब्जा छोडने तथा भविष्य में भूमि पर कब्जा न करने का शपथ पत्र पत्रावली में पेश तो कर रखा है किन्तु अपीलाण्ट ने अपने प्रा0पत्र में जो उपखण्ड अधिकारी देवली को प्रस्तुत किया था उसमें भी विवादित भूमि में से अपीलाण्ट ने अपना कब्जा होना माना है। बयान पटवारी हल्का बडोली की रिपोर्ट अनुसार गत वर्ष इसी चरागाह भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसे बेदखल कर दिया गया था जो कि गत वर्ष की बेदखली की मिसल से जाहिर है। इस प्रकार अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना साबित है। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया किन्तु वह बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। वैसे भी विवादित भूमि चरागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है तथा धारा 16 में वर्णित भूमियां न तो नियमन की जा सकती है न ही आवण्टन की जा सकती है और न इन पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। ऐसी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

7— फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23—11—2017 यथावत रखा जाता है।

8— निर्णय आज दिनांक 29—12—2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)